संख्या-1343**/XVIII-(2)/19-01(06)/2007**

प्रेषक,

 **देवेन्द्र पालीवाल,**

 अपर सचिव,

 उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

 **अधिशासी निदेशक,**

 आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,

 सचिवालय परिसर, देहरादून।

**आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांक 19,नवम्बर, 2019**

**विषयः- राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र(SEOC) तथा जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों (DEOC) में स्थापित सैटेलाईट फोनों हेतु 14 Docking Unit (जिसके स्थापित होने से indoor calling की जा सके) क्रय किये जाने के लिए धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

 कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-923/XIV-296/(2013)TC दिनांक 13.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र(**SEOC**) तथा जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों(**DEOC**) में स्थापित सैटेलाईट फोनों हेतु 14 **Docking Unit (**जिसके स्थापित होने से **indoor calling** की जा सके) क्रय किये जाने के लिए कुल रू0 21,47,600.00 की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (**SEOC**) तथा जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों (**DEOC**) में स्थापित सैटेलाईट फोनों हेतु 14 **Docking Unit (**जिसके स्थापित होने से **indoor calling** की जा सके) क्रय किये जाने के लिए कुल रू0 21,47,600.00 (रू0 इक्कीस लाख सैंतालिस हजार छः सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग करने पर पूर्ण उत्तरदायित्व अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. का होगा।

2) स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

3) व्यय करते समय मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

4) स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बिलों को सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग से प्रति हस्ताक्षरित कराकर ही कोषागार से आहरण किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा डी.एम.एम.सी. द्वारा रखा जायेगा।

5) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2020 तक उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

-2-

-2-

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-102-02-आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.पत्र. संख्या-273 मतदेय/XXVII(5)/2019-20, दिनांक 18 नवम्बर, 2019 में दी गई सहमति के आधार पर निर्गत किया गया है।

ह0/-

(देवेन्द्र पालीवाल)

अपर सचिव

**संख्या-1343(1)/ XVIII-(2)/19-01(06)2007, तद्दिनांक।**

 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।

2. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

3. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5. अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

7. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

8. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

9. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

10. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।

11. गार्ड फाइल।

ह0/-

(देवेन्द्र पालीवाल)

अपर सचिव